UPJS010040752020

अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या–२, झांसी।

उपस्थितः–ओमबीर, एच०जे०एस०

(JO Code No–UP6353)

(CNR No–UPJS01–004075–2020)

सत्र विचारण संख्या–७३९/२०२०

सरकार बनाम भगवत कुशवाहा आदि।

धारा–६०(२) आबकारी अधि०

व २७२ भा०दं०सं०

थाना–सकरार, जिला–झाँसी।

मु०अ०सं०–११२/२०२०

आरोप

मैं ओमबीर, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–२, झांसी एतदद्वारा आप भगवत कुशवाहा एवं अशोक कुशवाहा पर निम्न आरोप लगाता हूं कि–

१– यह कि घटना दिनांक–२३–०८–२०२० समय करीब १९–०० बजे, स्थान–सकरार गौशाला के पीछे साइड में बहद कस्बा व थाना सकरार, झाँसी में आपलोग पुलिस पार्टी द्वारा पकड़े गये, आपकी जामा तलाशी में आपलोगों के कब्जे से एक केन में ४० लीटर तथा दूसरी में २५ लीटर अपमिश्रित शराब बरामद की गई, जिसको रखने का आपलोगों के पास कोई वैध लाइसेन्स नहीं था। इस प्रकार आपलोगों ने ऐसा अपराध कारित किया है, जो आबकारी अधिनियम की धारा–६० (२) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है

२– यह कि उपरोक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर पुलिस पार्टी द्वारा आपलोगों के कब्जे से दो किलोग्राम यूरिया एक पोलीथीन और लगभग २ किलोग्राम नौशादर सफेद पोलीथीन, पतीला, भगोना, प्लास्टिक की एक नली व शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये, तीव्रता बढ़ाने हेतु यूरिया डालकर अपमिश्रण इस आशय से आपने किया कि आप उसे पेय वस्तु के रूप में बेचें, जिसको पीने से पीने वाले के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने की सम्भावना है। इस प्रकार आपलोगों ने ऐसा अपराध कारित किया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–२७२ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

मैं एतद द्वारा आपलोगों को निर्देश देता हूं कि उपरोक्त आरोप पर आपलोगों का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांक– ०७.०१.२०२१ **(ओमबीर)**
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–२,झांसी।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की ।

दिनांक– ०७.०१.२०२१ **(ओमबीर)**
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–२,झांसी।

UPJS010040752020

अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या–२, झांसी।

उपस्थितः–ओमबीर, एच०जे०एस०

(JO Code No–UP6353)

(CNR No–UPJS01–004075–2020)

सत्र विचारण संख्या–७३९/२०२०

सरकार बनाम भगवत कुशवाहा आदि।

धारा–६०(२) आबकारी अधि०

व २७२ भा०दं०सं०

थाना–सकरार, जिला–झाँसी।

मु०अ०सं०–११२/२०२०

आदेश

दिनांक–०७–०१–२०२१

सत्र विचारण की पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। अभियुक्तगण भगवत कुशवाहा एवं अशोक कुशवाहा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित हैं।

सुना गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने मामले के कथन तथा अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए, न्यायालय को यह बताया कि वे किस साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्व मामले को सिद्व करना चाहते हैं।

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्हें झूठा फँसाया गया है। कोई मामला नहीं बनता है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य तथा उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त अभियुक्तगण भगवत कुशवाहा एवं अशोक कुशवाहा के विरूद्व धारा–६०(२) आबकारी अधि० व २७२ भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप लगाये जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

अतः अभियुक्तगण भगवत कुशवाहा एवं अशोक कुशवाहा के विरूद्व धारा–६०(२) आबकारी अधि० व २७२ भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाये।

दिनांक– ०७.०१.२०२१ **(ओमबीर)**

अपर सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय संख्या–२,झांसी।